हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज अपील 02/2022 नगरपरिषद जैसलमेर जरिये आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर बनाम इन्द्राराम वगै	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 27.07.2022

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री अरविन्द गोपा
2. विप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री अब्दुल रहमान मेहर

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता इस प्रकरण की प्रत्येक पेशी तथा दिनांक 23.03.2022 पर उपस्थित रहा है, परन्तु सहवन से अदम पैरवी का आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। प्रत्येक मामले को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए तथा प्रतयेक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। उक्त प्रकरण पिछली पेशी पर ही हाजा न्यायायल द्वारा अदम पैरवी में खारिज किया गया है उक्त प्रकरण सरकार की करोडो रूपये की भूमि से संबंधित है तथा जिसका न्यायहित में सुना जाना अति आवश्यक है। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करते उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी प्लीडिंग में अपील को सहवन से खारिज करना दर्शाया है जबकि अपीलांट अधिवक्ता स्वयं न्यायालय में हाज़िर नहीं होने के कारण खारिज की गई। हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया। अपीलांट की गलती पर नरमी नहीं बरती जाकर आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेंट संख्या 05 की तरफ से बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट स्वयं हाजा न्यायालय में उपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
केम्प जैसलमेर

नहीं होन के कारण अपील को खारिज किया गया। उसके बावजूद भी न्यायालय नरम रूख अपनाता है तो अपीलांट पर भारी कॉस्ट लगाकर आवेदन स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 27.07.2022 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प जैसलमेर
बाड़मेर